न्यायालय सं0–9

राज्य लोक सेवा अधिकरण, इन्दिरा भवन, लखनऊ।

निर्देश याचिका सं0– 1397/2024

आरक्षी ना0पु0 रोहित कुमार, आयु लगभग 31 वर्ष, पुत्र श्री महेश चन्द्र, निवासी–मकान नं0–18–ए/1, नवाबगंज, जिला–कानपुर नगर।

–––याची

बनाम

1– उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव, गृह विभाग, सिविल सचिवालय, लखनऊ।
2– अपर पुलिस महानिदेशक, प्रयागराज जोन, प्रयागराज।
3– पुलिस उपमहानिरीक्षक, चित्रकूट धाम रेंज, बांदा।
4– पुलिस अधीक्षक, बांदा। **–––विपक्षीगण**

निर्णय

द्वाराः माननीय श्री योगेश्वर राम मिश्र, सदस्य (प्रशा0)

याची व्दारा यह याचिका राज्य लोक सेवा अधिकरण, अधिनियम 1976 की धारा–4 के अन्तर्गत आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 19–08–2021 (संलग्नक सं0–1) जिसके व्दारा याची को 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित किया गया है एवं आदेश दिनॉंकित 31–12–2021 (संलग्नक सं0–2) जिसके व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल अपील निरस्त की गयी तथा आदेश दिनॉंकित 22–03–2024 (संलग्नक सं0–3) जिसके माध्यम से उपर्युक्त दण्डादेशों के विरूद्ध याची व्दारा दाखिल पुनरीक्षण याचिका को निरस्त किया गया है, को खण्डित किये जाने हेतु योजित की गयी है।

2– संक्षेप में याचिका के तथ्य इस प्रकार हैं कि याची की नियुक्ति दिनॉंक 02–12–2015 को आरक्षी के पद पर हुई थी। याची के अनुसार पुलिस अधीक्षक, बांदा व्दारा उसे एक कारण बताओ नोटिस दिनॉंकित 15–05–2021(संलग्नक सं0–5) निर्गत की गयी जिसमें यह कथन किया गया कि “जब आप वर्ष 2020 में थाना मटौध जनपद बांदा में बतौर आरक्षी के पद पर नियुक्त थे तब दिनॉंक 13–02–2020 से 03 दिवस आकस्मिक अवकाश स्वीकृत कराकर प्रस्थान किये थे, बाद समाप्त अवकाश दिनॉंक 16–02–2020 को पूर्व दोपहर अपने कर्तव्य पर उपस्थित न होकर अनाधिकृत रूप से अनुपस्थिति के सम्बन्ध में प्रा0 जॉंच क्षेत्राधिकारी अतर्रा जनपद बांदा से करायी गयी है।

प्रा0 जाँच से पाया गया कि आप अपने पिता महेश चन्द्र का इलाज कराया जा रहा था तो इस सम्बन्ध में अपने उच्चाधिकारियों के समक्ष उपस्टित होकर सही वस्तुस्थिति से अवगत कराते हुये अवकाश स्वीकृत कराकर जाना चाहिए था, किन्तु आप व्दारा नियमों का अनुपालन न करते हुए बिना अनुमति/अवकाश के दिनाँक 16-02-2020 से 01-09-2020 तक कुल-199 दिवस अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने का दोषी पाये गये हैं। आपका उक्त कृत्य अपने कर्तव्यों के प्रति घोर लापरवाही, उदासीनता स्वेच्छाचारिता, अकर्मण्यता को प्रदर्शित करता है। अतः आपको कारण बताओ नोटिस एवं प्रारम्भिक जाँच आख्या की छायाप्रति संलग्न कर इस निर्देश के साथ प्रेषित है कि प्राप्ति की तिथि से 15 दिवस के अन्दर अपना लिखित स्पष्टीकरण प्रस्तुत करें, कि क्यों न आपको उ0प्र0अधीनस्थ श्रेणी के पुलिस अधिकारियों की (दण्ड एवं अपील) नियमावली, 1991 के नियम 14(2) के साथ सहपठित नियम-4(1)ख(2) के अन्तर्गत 30 दिवस के वेतन के बराबर अर्थदण्ड से दण्डित कर दिया जाये।" याची का कथन है कि कोविड-19 महामारी में विभागीय कार्य की अधिकता के कारण वह अपना स्पष्टीकरण प्रस्तुत नहीं कर सका तथा दण्डाधिकारी व्दारा उसके स्पष्टीकरण के आभाव में एक पक्षीय आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 19-08-2021 पारित कर दिया गया। याची व्दारा उक्त दण्डादेश के विरूद्ध सक्षम अधिकारी के समक्ष अपील (संलग्नक सं0-7) प्रस्तुत की गयी जिसे आदेश दिनाँकित 31-12-2021 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के उपरान्त उसके व्दारा विपक्षी सं0-2 के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे कालातीत होने के आधार पर आदेश दिनाँकित 22-03-2024 व्दारा निरस्त कर दिये जाने के कारण याची व्दारा यह याचिका प्रस्तुत की गयी है।

3- विपक्षीगण व्दारा लिखित विवेचन दाखिल किया गया जिसमें यह कथन किया गया कि याची व्दारा योजिहत रिवीजन कालबाधित होने के कारण आदेश दिनाँकित 22-03-2024 के माध्यम से निरस्त की गयी है। अस्तु याची व्दारा योजित प्रश्नगत याचिका कालबाधित होने के कारण राज्य लोक सेवा अधिकरण अधिनियम 1976 की धारा 5(1)(बी) के अन्तर्गत पोषणीय नहीं है। विपक्षीगण व्दारा अग्रेतर कथन किया गया कि प्रकरण में सक्षम अधिकारी से प्रारम्भिक जाँच करायी गयी जिसमें याची को दोषी पाये जाने पर दण्डाधिकारी व्दारा बचाव का पूर्ण एवं पर्याप्त अवसर प्रदान करते हुए उसे कारण बताओ नोटिस दिनाँकित 15-05-2021 निर्गत की गयी जिसका स्पष्टीकरण याची व्दारा प्रस्तुत नहीं किया गया जिसके फलस्वरूप दण्डाधिकारी व्दारा उसके विरूद्ध आलोच्य

दण्डादेश दिनॉंकित 19–08–2021 पारित कर दिया गया जो पूर्णतया विधिक एवं नियमानुकूल है, जिसके पारित किये जाने में किसी नियम एवं कानून का कोई उल्लंघन नहीं हुआ है और न ही कोई प्रक्रियात्मक त्रुटि हुयी है। विपक्षीगण व्दारा यह भी कहा गया कि याची व्दारा प्रस्तुत अपील में उठाये गये सभी बिन्दुओं पर सक्षम अधिकारी व्दारा विचार करने के उपरान्त अपील निरस्तीकरण आदेश दिनॉंकित 31–12–2021 पारित कर दिया गया। विपक्षीगण व्दारा अग्रेतर कथन किया गया कि याची द्वारा उपर्युक्त आदेशों के विरूद्ध विपक्षी सं0–2 के समक्ष पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया जिसे कालातीत होने के आधार पर आदेश दिनॉंकित 22–03–2024 व्दारा निरस्त कर दिया गया। विपक्षीगण व्दारा यह कथन भी किया गया कि याची प्रश्नगत आदेशों के विरूद्ध कोई अनुतोष पाने का अधिकारी नहीं है तथा याचिका बलहीन होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

4– याची व्दारा प्रत्योत्तर शपथ पत्र दाखिल किया गया जिसमें उसके व्दारा विपक्षीगण व्दारा दाखिल लिखित–कथन का विरोध करते हुए याचिका के कथनों की पुनरावृत्ति की गयी है।

5– मेरे व्दारा याची के विव्दान अधिवक्ता तथा विपक्षीगण की ओर से उपस्थित विव्दान प्रस्तुतकर्ता अधिकारी को ध्यानपूर्वक सुना गया तथा पत्रावली पर उपलब्ध समस्त अभिलेखों का ध्यानपूर्वक अवलोकन किया गया।

6– याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा यह तर्क भी प्रस्तुत किया गया आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 19–08–2021 सकारण व मुखरित आदेश नहीं है, अतः निरस्त किये जाने योग्य है।

7– उपरोक्त के सम्बन्ध में मेरे व्दारा आलोच्य दण्डादेश दिनॉंकित 19–08–2021 का अवलोकन किया गया जिससे स्पष्ट होता है कि पुलिस अधीक्षक, बांदा व्दारा अपने आदेश में यह कथन करते हुए कि आरक्षी रोहित कुमार ने उक्त नोटिस दिनॉंक 16–05–2021 को प्राप्त करने के उपरान्त भी निर्धारित अवधि का समय व्यतीत होने के उपरान्त भी अपना कोई लिखित स्पष्टीकरण इस कार्यालय में प्रस्तुत नहीं किया है। इससे स्पष्ट है कि इनके पास प्रस्तुत करने के लिये कोई स्पष्टीकरण नहीं है तथा नोटिस में अंकित आरोप इनको मान्य हैं। इस परिस्थितियों में प्रकरण में अंतिम आदेश पारित करने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं है। जबकि दण्डाधिकारी का यह दायित्व था कि वह जॉंच अधिकारी व्दारा

दी गयी प्रारम्भिक जॉंच आख्या दिनॉंकित 07–12–2020 में याची व्दारा दिये गये बयान तथा समस्त तथ्यों एवं साक्ष्यों पर विचार कर कोई आदेश पारित करते लेकिन दण्डाधिकारी व्दारा ऐसा न करके मात्र याची व्दारा स्पष्टीकरण न दिये जाने के आधार पर उसे दण्डित किया गया है जो माननीय उच्च न्यायालय, इलाहाबाद व्दारा रमेश मोहन शुक्ला बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य, 2015 (33) एल0सी0डी0, 2807 में दी गयी विधि व्यवस्था के विपरीत है जिसमें माननीय उच्च न्यायालय व्दारा निम्न सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया हैः–

> ***"Non-participation of an employee in the enquiry would not entitle him to challenge the same on the ground of violation of principles of natural justice but it does not spare the employer from the duty to establish the charges of misconduct by leading appropriate evidence."***

8– उक्त सम्बन्ध में याची के विव्दान अधिवक्ता व्दारा मेरे समक्ष माननीय उच्च न्यायालय व्दारा रिट–ए नं0–301/2023 उत्तर प्रदेश राज्य व्दारा प्रमुख सचिव/अपर मुख्य सचिव, गृह पुलिस अनुभाग–1, उ0प्र0, लखनऊ व अन्य बनाम तेजपाल गौतम में पारित निर्णय की छायाप्रति प्रस्तुत की गयी जिसका मेरे व्दारा अवलोकन किया गया जिसका प्रस्तर–9 महत्वपूर्ण है जो निम्नवत् हैः–

> ***"9. The punishment order merely states that the respondent did not submit his reply to the show cause notice and the disciplinary authority could not find any material on the basis whereof the respondent could be exonerated of the charges. The disciplinary authority has not mentioned any material which could establish the guilt of the respondent. The general Principle regarding discharge of the burden of proof applies to disciplinary proceedings also and for passing an order of punishment, it is necessary that the charges against the employee be established so as to prove the guilt and an employee can not be punished merely because he could not prove his innocence."***

उपरोक्त न्यायिक विधि व्यवस्थाओं के आलोक में वर्तमान प्रकरण में याची के विरूद्ध पारित दण्डादेश दिनॉंकित 19–08–2021 के अवलोकन से स्पष्ट है कि उक्त दण्डादेश सकारण व मुखरित आदेश नहीं है। अतः इस आधार पर भी आलोच्य दण्डादेश निरस्त किये जाने योग्य है।

9– अपीलीय अधिकारी व्दारा भी याची की अपील में किये गये कथन कि वह अपने पिता की तबियत खराब होने एवं इलाज के सम्बन्ध में सूचना अपने उच्चाधिकारियों को रजिस्ट्री डाक से दिया गया, के सम्बन्ध में कोई विवेचन अपीलीय आदेश दिनॉंकित 31–12–2021 में नहीं किया गया है। इस सम्बन्ध में मा0 न्यायालय व्दारा शिव

प्रसाद अवस्थी बनाम उ0प्र0 राज्य 1983 एसएलजे 524 में यह उल्लेख किया है कि परिवार के किसी सदस्य के गम्भीर रूप से बीमार होने की स्थिति में यदि उसकी देखभाल के लिये किसी कार्मिक को तत्काल जाना है और अवकाश प्रार्थना पत्र उसके व्दारा भेजा गया है तो यह अवकाश स्वीकृत का पर्याप्त कारण है।

10– यहाँ यह भी उल्लेखनीय है कि दण्डाधिकारी के पास यह विकल्प था कि यदि याची के पिता की अस्वस्थता प्रमाणित है तो वे वे उसे उपलब्ध अवकाश के रूप में उसकी अनुपस्थिति अवधि का अवकाश प्रदान कर सकते थे। परन्तु आलोच्य दण्डादेश व अपीलीय आदेश में कही पर भी याची के पिता की बीमारी को अप्रमाणिक या असिद्ध नहीं किया गया है अपितु अपीलीय अधिकारी ने यह लिखकर अपील को निरसत किया है कि यदि याची के पिता गम्भीर रूप से बीमार थे तो अपीलार्थी को उच्चाधिकारियों के समक्ष उपस्थित होकर अवकाश स्वीकृत कराना चाहिये था। यह निर्वचन सेवाविधि के किसी उपबंध में अपरिहार्य नहीं है।

11– पुनरीक्षण आदेश में याची के पुनरीक्षण प्रार्थना पत्र को मात्र तकनीकी आधार पर निरस्त किया गया है अतः उक्त आदेश भी स्थिर रहने योग्य नहीं है।

उपरोक्त विवेचना के आधार पर याची की याचिका निम्न आदेश के साथ स्वीकार किये जाने योग्य हैः–

<u>आदेश</u>

याचिका स्वीकार की जाती है। आलोच्य दण्डादेश दिनाँकित 19–08–2021 (संलग्नक सं0–1), अपीलीय आदेश दिनाँकित 31–12–2021 (संलग्नक सं0–2) व पुनरीक्षण आदेश दिनाँकित 22–03–2024 (संलग्नक सं0–3) निरस्त किये जाते हैं। याची समस्त पारिणामिक सेवा लाभ पाने का अधिकारी है जो इन आदेशों व्दारा रोके गये हों।

उभय पक्ष वाद व्यय स्वयं वहन करेंगे।

ह0/–(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

निर्णय आज खुले न्यायालय में हस्ताक्षरित, दिनाँकित व उद्घोषित किया गया।

ह0/–(योगेश्वर राम मिश्र)
सदस्य (प्रशा0)

दिनाँकः 19 अगस्त, 2026
एच0के0आर0/पी0एस0